क्रम-संख्या--348

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 1984

वैशाख 10, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 931/सत्रह-वि0-1-1 (क)-6-1984

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

पुलिस अधिनियम, 1861 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 1 में संशोधन

2--पुलिस अधिनियम, 1861 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में वर्तमान पांचवें खण्ड के जिसमें शब्द "जिला अधीक्षक" परिभाषित किया गया है, के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्----

"जिला अधीक्षक" और "जिला पुलिस अधीक्षक" शब्दों के अन्तर्गत अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों, या उनमें से किसी का पालन करने के लिये इस अधिनियम अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है।"

धारा 4 का संशोधन

3---मूल अधिनियम में, धारा 4 में,---

(एक) शब्द "पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसे" के स्थान पर शब्द "पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसे महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "सहायक जिला अधीक्षकों" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षकों, संयुक्त जिला अधीक्षकों और सहायक जिला अधीक्षकों" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4--मूल अधिनियम में, धारा 5 में, शब्द "पुलिस महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

5---मूल अधिनियम में, धारा 7 में, शब्द "पुलिस महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, महानिरीक्षकगण" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6---मूल अधिनियम में, धारा 8 में, जहां-जहां भी शब्द "महानिरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

7--मूल अधिनियम में, धारा 10 में, शब्द "महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

8---मूल अधिनियम में, धारा 12 में, जहां-जहां भी शब्द "महानिरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

9---मूल अधिनियम में, धारा 13 में, जहां-जहां भी शब्द "महानिरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

10---मूल अधिनियम में, धारा 14 में, जहां-जहां भी शब्द "महानिरीक्षक" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में, [शब्द "महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 30 में उपधारा (1) में, शब्द "सहायक जिला अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 30-क का संशोधन

13---मूल अधिनियम की धारा 30-क में उपधारा (1) में, शब्द "सहायक जिला अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

14---मूल अधिनियम में, धारा 32 में, शब्द "सहायक जिला अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन

15--मूल अधिनियम में, धारा 42 में, शब्द "सहायक जिला अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 45 का संशोधन

16--मूल अधिनियम में, धारा 45 में, शब्द "महानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 931(2)/XVII-V—1-1(Ka)-6-1984

Dated Lucknow, April 30, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Police (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 29, 1984:

THE POLICE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. Act No. 10 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Police Act, 1861 *in its application to Uttar Pradesh.*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Police (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1984. — Short title.

2. In the Police Act, 1861, hereinafter referred to as the principal Act, in section 1, *for* the existing fifth clause defining the words 'District Superintendent', the following clause shall be *substituted*, namely :— — Amendment of section 1 of Act V of 1861.

"the words 'District Superintendent' and 'District Superintendent of Police' shall include an Additional District Superintendent or Joint District Superintendent or Assistant District Superintendent or other person appointed by general or special order of the State Government to perform all or any of the duties of a District Superintendent of Police under this Act in any district."

3. In the principal Act, in section 4,— — Amendment of section 4.

(i) *for* the words "Inspector General of Police, and in such," the words "Director General-*cum*-Inspector-General of Police and in such Inspectors-General", shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "Assistant District Superintendents", the words "Additional District Superintendents, Joint District Superintendents and Assistant District Superintendents" shall be *substituted*.

4. In the principal Act, in section 5, *for* the words "Inspector General of Police", the words "Director General-*cum*-Inspector General of Police" shall be *substituted*. — Amendment of section 5.

5. In the principal Act, in section 7, *for* the words "Inspector General", the words "Director General-*cum*-Inspector-General, Inspectors General", shall be *substituted*. — Amendment of section 7.

6. In the principal Act, in section 8, *for* the words "Inspector General" wherever occurring, the words "Director General-*cum*-Inspector General" shall be *substituted*. — Amendment of section 8.

7. In the principal Act, in section 10, *for* the words "Inspector General" the words "Director General-*cum*-Inspector General" shall be *substituted*. — Amendment of section 10

8. In the principal Act, in section 12, *for* the words "Inspector General", wherever occurring, the words "Director General-*cum*-Inspector General" shall be *substituted*. — Amendment of section 12.

9. In the principal Act, in section 13, *for* the words "Inspector General", wherever occurring, the words "Director General-*cum*-Inspector General or Inspector General", shall be *substituted*. — Amendment of section 13.

10. In the principal Act, in section 14, *for* the words, "Inspector General", wherever occurring, the words "Director General-*cum*-Inspector General", shall be *substituted*. — Amendment of section 14.

11. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "Inspector General", the words "Director General-*cum*-Inspector General" shall be *substituted*. — Amendment of section 15

Amendment of section 30.

12. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "Assistant District Superintendent", the words "Additional District Superintendent or Joint District Superintendent or Assistant District Superintendent" shall be *substituted*.

Amendment of section 30-A.

13. In section 30-A of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "Assistant District Superintendent", the words "Additional District Superintendent or Joint District Superintendent or Assistant District Superintendent" shall be *substituted*.

Amendment of section 32.

14. In the principal Act, in section 32, *for* the words "Assistant District Superintendent" the words "Additional District Superintendent or Joint District Superintendent or Assistant District Superintendent" shall be *substituted*.

Amendment of section 42.

15. In the principal Act, in section 42, *for* the words, "an Assistant District Superintendent", the words "Additional District Superintendent or Joint District Superintendent or Assistant District Superintendent" shall be *substituted*.

Amendment of section 45.

16. In the principal Act, in section 45, *for* the words "Inspector General" the words "Director General-*cum*-Inspector General" shall be *substituted*.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0 एस0 य0 पी0--ए0 पी0 38 सा0 (विधा0)--(460)-1984-750 (मक0)